सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान, बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 71/2016

1. रामलाल पुत्र स्व0 श्री लूनाराम जाति नायक निवासी चक 20 एम.एल.बी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. संजय पुत्र रामलाल जाति नायक निवासी चक 20 एम.एल.बी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. रामप्रताप
2. भवंरलाल
3. इन्द्राज
4. धर्मवीर
5. गंगासिंह
6. विजय कुमार
7. सोमती
8. सन्तोष
9. बिमला
10. पप्पु देवी
11. सुमित्रा
12. सुनील कुमार

पुत्र/पुत्रीगण सुरजाराम जाति नायक निवासीयान 20 एम.एल.बी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

13. सुनील कुमार पुत्र सुरजाराम जाति नायक रेस्पोडेन्ट संख्या 7 ता 11 जरिये मुखत्यारे आम।
14. स्टेट आफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार, श्रीगंगानगर दिनांक 07.10.2016 प्रकरण सख्या 03/2016 अनवानी रामप्रताप वगैरा बनाम प्रीतम कौर वगैरहा, जिसके द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) राज.काश्ताकारी अधिनियम स्वीकार किया गया को निरस्त करने हतु।

उपस्थित :
1. श्री जरनैल सिंह टुरना, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट
3. श्री कुलवन्तजीत सिंह एडवोकेट, रेस्पोडेंट

आदेश **दिनांक :—11.12.2017**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट /प्रार्थीगण द्वारा संयुक्त रूप से जरिये मुखत्यारे आम सुनील कुमार के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के दादा चेतनराम पुत्र श्रीगंगाराम के नाम चक 20 एमएलबी के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

खाता संख्या 120 के मुरब्बा नम्बर 55/57 की कुल 25 बीघा भूमि अलॉट शुदा थी । उक्त रकबा चेतनराम व अन्य वारिसान के नाम अलॉट हुआ था जिस पर मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1 ता 12 व 13 की 10 बिस्वा कुल 12.10 बीघा भूमि अपीलार्थीगण/ अप्रार्थीगण ने जबरन कब्जा कर रखा है। अपीलार्थीगण/ अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर इस प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया कि चक 20 एमएलबी के मुरब्बा नम्बर 55/57 की कुल 25 बीघा रकबा चेतनराम पुत्र श्री गंगाराम को आवंटित हुआ। उक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 55/57 के किला नम्बर 13 में 10 बिस्वा, किला नम्बर 14 ता 25 सालम कुल 12.10 बीघा भूमि चेतनराम के मुखत्यारे आम शेराराम द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 15.04.1968 को लूणाराम पुत्र श्री गंणपतराम जाति नायक, कार्यालय उप पंजीयक श्रीगंगानगर के यहां पंजीबद्व करवा दिया तथा शेष प्रश्नगत कृषि भूमि कृषि भूमि किला नम्बर 1 ता 12 व किला नम्बर 13 की 10 बिस्वा यानि 12.10 बीघा कृषि भूमि श्री गोपीसिंह के द्वारा जो प्रीतम कौर के पिता थे जरिये ईकरारनामा खरीद शुदा है। प्रीतम कौर ने उक्त 12.10 बिस्वा भूमि का मुखत्यारनामा रामलाल पुत्र श्री लूणाराम को दिनांक 15.02.2013 को प्रदान कर दिया। रामलाल ने प्रश्नगत कृषि भूमि को जिसका वह मुखत्यारे आम था । ईकरारनामा बैय फाईनल संजय कुमार पुत्र रामलाल जाति नायक निवासी 20 एमएलबी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को दिनांक 28.03.2013 को विक्रय कर दी। इस प्रकार 25 बीघा भूमि पर अपीलार्थीगण का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है एवं साधिकार काबिज है। पटवारी हल्का से मौका व रिकार्ड की रिपोर्ट मंगवाई जाकर बाद बहस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट /प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.10.2016 विरूद्व कानून, रिकॉर्ड एवं सर्वमान्य सिद्वान्तों के होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू को समझने में कानूनी भूल की है कि गैर–खातेदारी कस्टोडियन भूमि का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं है। जिला पुर्नवास अधिकारी द्वारा आवंटित भूमि के सम्बन्ध में जमाबन्दी के कॉलम नम्बर 4 में राष्ट्रपति , भारत सरकार का नाम दर्ज होता है। इसलिये धारा 183(बी), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय को वाद पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसी विवादित भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक क्रमशः 19.05.2011 एवं 26.02.2009 को पारित निर्णय से स्पष्ट है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर वर्ष 1968 से अपीलार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है जो वैध है।अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वरवक्त बहस न्यायिक दृष्टान्त आर आर डी 2001 पेज–448 प्रस्तुत किया जकार यह अर्ज किया गया कि राजस्व न्यायालय को कस्टोडियन विभाग की गैर खातेदारी भूमि का प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायलय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टान्त पर कोई गौर न कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 15.09.2006 का तथा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 01.10.2004 को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश Arbitrary रूप से पारित कर दिया जो विधि विरूद्व है। अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्रीगंगानगर के निर्णय के विरूद्व अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय जोधपुर में फौजदारी निगरानी संख्या 888/06 प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 05.05.2008 एवं 19.05.2012 को पारित कर यह निर्धारित किया गया कि राजस्व न्यायालय द्वारा कब्जे के सम्बन्ध में पारित निर्णय अन्तिम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

होगा। राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 26.02.2009 को रेस्पोडेन्ट द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,91,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज कर दिया । इस प्रकार कब्जा अपीलार्थीगण का माना गया। अधिनस्थ न्यायालय ने पारित अन्तिम निर्णयों पर गौर न कर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.10.2014 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दिनांक 14.10.2016 को जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि चेतनराम पुत्र गंगाराम को अलाट हुई थी। चक 20 एम.एल. तहसील श्रीगंगागनर मुरब्बा नम्बर 55/57 में 25.00 बीघा अलाट किया गया था। चेतनराम मरने के बाद उपरोक्त तमाम जमीन जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अप्रार्थीयान के पिता के नाम कर दी थी। अप्रार्थीयान के पिता का स्वर्गवास हो गया जिसके जायज वारिसान अप्रार्थीयान है। अप्रार्थीयान व अप्रार्थीयान के दादा व पिता द्वारा कोई जमीन का बेचान नही किया ना ही प्रीतम कौर को कोई बेचान किया है। इसलिए प्रार्थीयान यह कहना कि प्रीतम कौर ने जमीन खरीद की है, जो सरासर गलत है। इसलिए प्रार्थीयान का कोई प्रथम दृष्टि से मामला नही बनता है। यह कहना सरासर गलत है कि मौके पर फसल हो तहसीलदार के आदेश की पालना में नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 10.10.2016 को जमीन का कब्जा अप्रार्थीयान को सौप दिया है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 07.10.2016 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 07.10.2016 को प्रकरण संख्या 03/2016 अनवानी रामप्रताप वगैरा बनाम प्रीतम कौर वगैरा में धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया जो तहसीलदार द्वारा बिना क्षेत्राधिकार, विधि विरूद्व तरीके से निर्णय किया गया है जोकि अकृत व शून्य है, इसी आधार पर निरस्त योग्य है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ए.आई.आर. 1954 पेज नम्बर 340, आर. आर.डी. 1973 पेज नम्बर 53 में उद्वित किया गया है।

चक 20 एम.एल.बी. के मुरब्बा नम्बर 55/57 की 25.00 बीघा भूमि चेतनराम पुत्र गंगाराम को पूर्नवास विभाग द्वारा आवंटन हुई थी। चेतनराम द्वारा पंजीकृत बैयनामा दिनांक 15.04.1968 के आधार पर चक 20 एम.एल.बी. के मुरब्बा नम्बर 55/57 के किला नम्बर 13 ता 25 कुल 12.10 बीधा भूमि प्रतिफल लेकर लुनाराम पुत्र गणपत सिंह को जो कि अपीलान्ट का पिता था को बेचान कर दी थी और कब्जा भी वरवक्त बैयनामा अपीलान्ट के पिता को दे दिया गया था और शेष भुमि यानि कि चक 20 एमएलबी के मुरब्बा नम्बर 55/57 के किला नम्बर 1 ता 12 व किला नम्बर 13 के 10 बिस्वा कुल 12.10 बीघा भूमि जरिये ईकरारनामा गोपीराम को बेचान की थी । गोपीराम का देहान्त होने के पश्चात उसकी पुत्री प्रीतम कौर द्वारा दिनांक 15.02.2013 को रामलाल पुत्र लुनाराम को मुखत्यारेआम नियुक्त कर दिया था और जरिये मुखत्यारेआम रामलाल द्वारा दिनांक 28.03.2013 को उक्त भूमि संजयकुमार पुत्र रामलाल निवासी चक 20 एम.एल.बी को विक्रय कर दी थी और कब्जा भी संजय कुमार को सुपुर्द कर दिया गया था। तहसीलदार को निष्कांन्त भूमि के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार प्राप्त नही था, अपीलान्ट संजय कुमार द्वारा निष्कान्त भूमि आवंटन नियम 1963 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर में दिनांक 17.06.

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

2013 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसका प्रकरण संख्या 97/2013 अनवानी संजयकुमार बनाम चेतनराम वगैरा रहें जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.08.2017 निश्चित है।

रेस्पोडेन्ट रामप्रताप वगैरा को तहसीलदार के समक्ष धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही था, क्योंकि रामप्रताप वगैरा द्वारा चक 20 एमएलबी के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1 ता 13 की 12.10 बिस्वा भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 04.02.2013 को राधाकिशन पुत्र अमराराम जाति मेधवाल निवासी बनीवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के हक में निष्पादन कर दिया था जिससे अपीलान्टस को ब्लैकमेल किया जा सके। राधाकिशन द्वारा उक्त रकबा को नियमन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र व हल्फनामा दिनांक 15.05.2013 को पेश कर दिया था जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां माननीय न्यायालय में पेश की जा चुकी है। जब रेस्पोडेन्टस द्वारा इकरारनामा दिनांक 15.05.2013 के आधार पर प्रश्नगत भूमि का बेचान ही कर दिया गया दर्शाया हुआ है तो उन्हे तहसीलदारके समक्ष धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही रह जाता है। प्रश्नगत भूमि का मामला उपखण्ड अधिकारी के विचाराधीन था, कब्जा अपीलान्टस का चला आ रहा था लेकिन रेस्पोडेन्टस द्वारा दुर्भि संधि करके व आपराधिक षडयन्त्र रचकर कुटरचना करने की नियत से तहसीलदार के समक्ष 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। रेस्पोडेन्टस सख्या 1 ता 13 द्वारा दिनांक 25.05.2013 को उपखण्ड अधिकारी व पुर्नवास अधिकारी के प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त 12.10 बीघा भूमि का बेचान जरिये इकरारनामा राधाकिशन पुत्र अमराराम को कर दिया है और इसका नियमन राधाकिशन के नाम से कर दिया जावें इसलिए रेस्पोडेन्ट सख्या 1 से 13 को तहसीलदार श्रीगंगानगर 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं था मामला सब्जययुडीश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष था इसलिए तहसीलदार को प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में सुनने का क्षेत्राधिकारी व श्रवणाधिकार नहीं था। अपीलान्ट सहधिकार उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है अपीलान्ट न तो अतिक्रमी की परिभाषा में आते है , लेकिन तहसीलदार द्वारा पत्रावली पर आयी हुई दस्तावेजों को अनदेखी करके विधि विरूद्व तरीके से निर्णय किया गया है, क्योंकि क्योंकि तहसीलदार को गैर खातेदारी कस्टोडियन भूमि के सम्बन्ध में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद सूनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही था, क्योंकि उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अनवानी प्रकरण 162/2007 सरस्वती देवी वगैरा बनाम प्रीतम कोर –लूणाराम वगैरा में दिनांक 26.02.2009 को रेस्पोडेन्ट का वाद पत्र इसी आधार पर खारिज कर दिया गया था कि " **भूमि गैर खातेदारी कस्टोडियन विभाग की होने के कारण इस न्यायालय को सुनने का अधिकार ना होने के कारण दावा वादीगण खारिज किया जाता है**" लेकिन तहसीलदार ने यह माना है कि प्रकरण संख्या 02/2013 अनवानी सुनील कुमार बनाम रामलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 01.10.2014 के अनुसार भी निर्णय निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में रहा है इसी आधार पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर प्रश्नगत भमि का कब्जा रेस्पोडेन्टस को दिलाये जाने का आदेश दिये गये । क्योंकि **"राजस्थान सरकार के पुर्नवास विभाग के नोटिफिकेशन नम्बर 2(67)/61/111 दिनांक 16.10.1987"** में यह उद्वित किया गया है कि जो जमीन बिना खातेदारी अधिकार के बैचान हो गई उनको बेदखल नही किया जावें, लेकिन तहसीलदार ने कानून की अवहेलना करते हुए राज्य सरकार के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आदेशों को भी न मानते हुए बिना क्षेत्राधिकार के निर्णय पारित किया है जो कि अकृत व शुन्य की परिभाषा में आता है।

इकरारनामा संजय कुमार के पक्ष में हुआ है उस पर तहसीलदार को कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार नही था, क्योंकि पुर्नवास विभाग द्वारा जो दिनांक 16.10.1987 को नोटिसफिकेशन जारी किया हुआ है कि खरीददारों को बेदखल न किया जावें और न ही अपीलान्ट अतिक्रमी था और न ही धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य था, क्योंकि बेचान अनुसूचित जाति को ही किया गया था व उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 26.02.2009 के आदेश अंतिम हो चुके थे, जिसकी अपील रेस्पोडेन्टस द्वारा राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के अनवानी प्रकरण सरस्वतीदेवी वगैरा बनाम प्रीतमकौर वगैरा अपील सख्या 27/2009 थी और दिनांक 17.08.2016 को अपील खारिज कर दी गई थी। इसलिए रेस्पोडेन्ट तहसीलदार के समक्ष कोई भी प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकारी नही थे, लेकिन रेस्पोडेन्टस द्वारा तथ्यों को छुपाकर , आपराधिक षडयन्त्र रचकर अपीलान्ट को ब्लैकमैल करने की नियत से विधि विरूद्व तरीका से धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष दिनांक 30.05.2016 को प्रस्तुत किया गया और रेस्पोडेन्टस द्वारा तहसीलदार से विधि विरूद्व तरीके से आदेश दिनांक 07.10.2016 प्राप्त किये है जो कि कानूनन अकृत व शुन्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा जो आवश्यक पक्षकार थे उनकों पक्षकार नही बनाया गया क्योंकि पूर्नवास विभाग की यह भूमि थी जिसे भी पक्षकार नही बनाया गया और न ही लैण्ड होल्डर को पक्षकार बनाया है इसलिए आवश्यक पक्षकारों के आभाव में रेस्पोडेन्टस का प्रार्थना पत्र धारा 183 बी चलने योग्य नही था। रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 183 बी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया था, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 13 द्वारा धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र तथ्यों को छुपाकर पेश किया गया है, क्योंकि रेस्पोडेन्टस के दादा द्वारा जरिये ईकरारनामा गोपीसिंह को बेचान कर दी गई थी गोपीसिंह की मृत्यु के बाद उसकी वारिस प्रीतम कोर द्वारा जरिये इकरारनामा भूमि संजयकुमार को बेचान कर दी थी और प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 13 द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समंक्ष वाद संख्या 162/2007 प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय दिनांक 26.02.2009 को हो गया था। रेस्पोडेन्ट द्वारा तथ्यों को छुपाकर न्यायालय के धोखे से निर्णय प्राप्त किया है व नही रेस्पोडेन्टस सख्या 1 ता 13 तहसीलदार के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकारी थे जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ए.आई.आर. 1994 सुप्रीम कोर्ट पेज नं. 853 में सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि कोई न्यायालय से धोखा करता है तो वह कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी व पुर्नवास अधिकारी के समक्ष इकरारनामा का नियमन करवाने हेतु नियमानुसार आवेदन कर रखा है क्योंकि पुर्नवास विभाग द्वारा निष्कान्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में जारी प्रपत्र कमांक एफ–1(15)राजस्व / पुर्नवास/2009 जयपुर, दिनांक 06 अक्टुबर 2009 व केन्द्रीय सरकार के द्वारा जारी किये गये निर्देश दिनांक 22.09.2008 के अनुसार भी नियमन हेतु उपजिलाधीश एवं पुर्नवास अधिकारी के समक्ष दिनांक 21.05.2013 को प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था जिसका मुकदमा नम्बर 97/2013 है। इस प्रकार से उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर व पुर्नवास अधिकारी के समक्ष मामला सबज्युडीस था , इसलिए भी तहसीलदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नही था। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 का यह कहना कि अपीलान्ट द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया है कतई गलत है क्योंकि बेचान भी अनुसुचित जाति से अनुसुचित जाति में है इसलिए धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी कानूनन कार्यवाही नही हो सकती थी।

रेस्पोडेन्ट द्वारा जिला पुर्नवास अधिकारी के समक्ष भी पुर्नवास अधिनियम की धारा 29(2) नियम 120 के अन्तर्गत भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें पुर्नवास अधिकारी द्वारा कोई भी भूमि रिसीवर करने की कार्यवाही नहीं की गई थी, क्योंकि राज्य सरकार के दिनांक 16.10.1987 के निर्देशों अनुसार कोई भी कार्यवाही नही की गई थी,ारा भूमि को रिसीवर नहीं किया गया था, जिसकी निगरानी रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सख्या 1 श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 15.09.2006 को निगरानी स्वीकार कर ली गई, इस आदेश के खिलाफ निगरानी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अपीलान्ट के पिता व प्रितम कौर द्वारा प्रस्तुत की जिसमें निगरानी स्टे का नम्बर 808/2006 था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 09.10.2006 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 15.09.2006 स्थगित कर दिया गया था और माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की मूल निगरानी में दिनांक 05.05.2008 को आदेश दिया कि तीन माह के अन्दर–अन्दर सिविल न्यायालय केस का निस्तारण करें और बाद में माननीय उच्च न्यायलय जोधपुर द्वारा दिनांक 19.05.2011 को सिविल कोर्ट की जगह रेवन्यु कोर्ट दर्ज किया गया इस प्रकार से राजस्व न्यायलय का निर्णय अन्तिम था जो निगरानी संख्या 808/2006 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व प्रीतम कौर द्वारा जिसमे तहसीलदार भी पक्षकार था इसलिए तहसीलदार को कानूनन कोई भी आदेश पारित करने के अधिकार नही थे इससे पूर्व भी जो निगरानी संख्या 430/99 माननीय उच्च न्यायलय जोधपुर में निर्णय दिनांक 08.12.1999 में यह आदेश दिये गये थे कि "**Consequently,the petition is allowed, the order of returned additional Session Judge No.1, Sri Ganganagar is set aside and order learned Sub Division Magistrate, Sri Ganganagar is revived and manintained. He is directed to dispose of the proceedings with in a period of three months from today**" जिस पर दिनांक 20.05.2003 को उपदण्डनायक श्रीगंगानगर द्वारा साक्ष्य के आभाव से प्रकरण को निरस्त कर दिया और जिनसे कब्जा लिया गया था उन्हें कब्जा वापिस दिला दिया यानि कि अपीलान्टस को कब्जा दिला दिया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.05.2008 में यह निर्देशित किया कि इस भुगि के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय ही निर्णय करें और जिस पर उपखण्ड अधिकारी एवं पुर्नवास अधिकारी द्वारा दिनांक 26.02.2009 को रेस्पोडेन्टस का वाद पत्र खारिज कर दिया गया जिसकी अपील सरस्वतीदेवी वगैरा यानि कि रेस्पोडेन्टस द्वारा राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसकी अपील सख्या 27/2009 थी और दिनांक 17.08.2016 को अपील खारिज कर दी गई थी। इस प्रकार रेस्पोडेन्टस सख्या 1 द्वारा न्यायालय के निर्णय को छुपाकर धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकारी नही थे इसलिए अपीलान्टस द्वारा इनके खिलाफ जवाहरनगर थाना श्रीगंगानगर प्रथम सुचना संख्या 525/2016 दिनांक 07.09.2016 को धारा 120, 420,418,423,465,467,468 व 471 भारतीय दण्ड संहिता के अर्न्तगत दर्ज करवाई गई, क्योंकि चेतनराम के वारिसों को कानूनन कब्जा नही दिया

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जा सकता था क्योंकि चेतनराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही भूमि का पंजिकृत बैयनामा के आधार पर बेचान कर दिया था और बैयनामा किसी भी संक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है इसलिए चेतनराम के वारिसों के खिलाफ विबन्धन का सिद्वान्त लागु होता है।

न्यायालय का यह कहना कि कानूनन तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अपील की सुनवाई का क्षैत्राधिकार प्राप्त नही है कतई गलत है क्योंकि तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत आदेश पारित किये है जिसकी अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 में माननीय न्यायलय में लाई करती है। आदेश दीवानी प्रकिया संहिता की धारा 2(14) में परिभाषित किया गया है कि ऐसे कोई भी आदेश जिससे किसी के अधिकारों पर प्रभाव पडता है उसकी अपील विधिनुसार पेश की जा सकती है। इसलिए यह अपील माननीय न्यायालय के श्रवणधिकार व क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत है तो भी अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा सकती है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आर.एल.आर. 1983 पेज नं. 273 बी में सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है व आर.आर. डी. 1981 पेज नम्बर 630 में भी सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है।

सम्पति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 41 के तहत कृषि भूमि अपीलान्टस पाने के अधिकारी है, लेकिन रेस्पोडेन्टस को जमीन का दोबारा कब्जा नही दिया जा सकता क्योंकि सन् 1987 में ही पुर्नवास विभाग द्वारा निर्देश जारी किये हुए थे, लेकिन तहसीलदार द्वारा इन आदेशों की अवहेलना करते हुए बिना क्षेत्राधिकार के आदेश पारित किया है। इकरारनामा के बाद अपीलान्ट के पिता व अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि में काफी सुधार किये , कृषि भूमि की कीमतें बढ जाने के कारण रेस्पोडेन्टस व उनके परिवार के मन में लालच आ गया है इसलिए अपीलान्टस को ब्लैकमेल करने व नुकसान पहुंचाने की नियम से कार्यवाही कर रहे है। प्रश्नगत भूमि की पानी की पर्ची भी सन् 1989 से लेकर 2013 तक लुनाराम के नाम से ही बनती आ रही थी क्योंकि रकबे का इकरारनामा के आधार पर लुनाराम को बेचान हो चुका था। इसलिए पानी की पर्ची गोपी सिंह व प्रीतम कौर के नाम से बनती आ रही थी क्योंकि इकरारनाम के आधार पर प्रश्नगत भूमि का बेचान हो चुका था । लिहाजा तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 07.10.2016 को निरस्त किया जावें व अपीलान्टस को रेस्पोडेन्टस से विशेष हर्जाना दिलवाया जावें।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत जबाब ही बहस समझा जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 07.10.2016 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 07.10.2016 को प्रकरण संख्या 03/2016 अनवानी रामप्रताप वगैरा बनाम प्रीतम कौर वगैरा में धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया जो तहसीलदार द्वारा बिना क्षेत्राधिकार, विधि विरूद्व तरीके से निर्णय किया गया है जोकि अकृत व शुन्य है, इसी आधार पर निरस्त योग्य है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ए.आई.आर. 1954 पेज नम्बर 340, आर. आर.डी. 1973 पेज नम्बर 53 में उद्वित किया गया है।

चक 20 एम.एल.बी. के मुरब्बा नम्बर 55/57 की 25.00 बीघा भूमि चेतनराम पुत्र गंगाराम को पूर्नवास विभाग द्वारा आवंटन हुई थी। चेतनराम द्वारा पंजीकृत

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

बैयनामा दिनांक 15.04.1968 के आधार पर चक 20 एम.एल.बी. के मुरब्बा नम्बर 55/57 के किला नम्बर 13 ता 25 कुल 12.10 बीधा भूमि प्रतिफल लेकर लुनाराम पुत्र गणपत सिंह को जो कि अपीलान्ट का पिता था को बेचान कर दी थी और कब्जा भी वरवक्त बैयनामा अपीलान्ट के पिता को दे दिया गया था और शेष भुमि यानि कि चक 20 एमएलबी के मुरब्बा नम्बर 55/57 के किला नम्बर 1 ता 12 व किला नम्बर 13 के 10 बिस्वा कुल 12.10 बीघा भुमि जरिये ईकरारनामा गोपीराम को बेचान की थी । गोपीराम का देहान्त होने के पश्चात उसकी पुत्री प्रीतम कौर द्वारा दिनांक 15.02.2013 को रामलाल पुत्र लुनामा को मुखत्यारेआम नियुक्त कर दिया था और जरिये मुखत्यारेआम रामलाल द्वारा दिनांक 28.03.2013 को उक्त भूमि संजयकुमार पुत्र रामलाल निवासी चक 20 एम.एल.बी को विक्रय कर दी थी और कब्जा भी संजय कुमार को सुपुर्द कर दिया गया था। तहसीलदार को निष्कांन्त भूमि के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार प्राप्त नही था, अपीलान्ट संजय कुमार द्वारा निष्कान्त भूमि आवंटन नियम 1963 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर में दिनांक 17.06.2013 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसका प्रकरण संख्या 97/2013 अनवानी संजयकुमार बनाम चेतनराम वगैरा रहें जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.08.2017 निश्चित है।

रेस्पोडेन्ट रामप्रताप वगैरा को तहसीलदार के समक्ष धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही था, क्योंकि रामप्रताप वगैरा द्वारा चक 20 एमएलबी के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1 ता 13 की 12.10 बिस्वा भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 04.02.2013 को राधाकिशन पुत्र अमराराम जाति मेधववाल निवासी बनीवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के हक में निष्पादन कर दिया था। राधाकिशन द्वारा उक्त रकबा को नियमन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र व हल्फनामा दिनांक 15.05.2013 को पेश कर दिया था, जब रेस्पोडेन्टस द्वारा इकरारनामा दिनांक 15.05.2013 के आधार पर प्रश्नगत भूमि का बेचान ही कर दिया गया दर्शाया हुआ है तो उन्हे तहसीलदार के समक्ष धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही रह जाता है। प्रश्नगत भूमि का मामला उपखण्ड अधिकारी के विचाराधीन था, कब्जा अपीलान्टस का चला आ रहा था । रेस्पोडेन्टस सख्या 1 ता 13 द्वारा दिनांक 25.05 2013 को उपखण्ड अधिकारी व पुर्नवास अधिकारी के प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त 12.10 बीघा भूमि का बेचान जरिये इकरारनामा राधाकिशन पुत्र अमराराम को कर दिया है और इसका नियमन राधाकिशन के नाम से कर दिया जावें इसलिए रेस्पोडेन्ट सख्या 1 से 13 को तहसीलदार श्रीगंगानगर 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं था मामला सब्जययुडीश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष था इसलिए तहसीलदार को प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में सुनने का क्षेत्राधिकारी व श्रवणाधिकार नहीं था। अपीलान्ट सहधिकार उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है अपीलान्ट न तो अतिक्रमी की परिभाषा में आते है , लेकिन तहसीलदार द्वारा पत्रावली पर आयी हुई दस्तावेजों को अनदेखी करके विधि विरूद्व तरीके से निर्णय किया गया है, क्योंकि तहसीलदार को गैर खातेदारी कस्टोडियन भूमि के सम्बन्ध में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद सूनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही था। उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अनवानी प्रकरण 162/ सरस्वती देवी वगैरा बनाम प्रीतम कोर –लूणाराम वगैरा में दिनांक 26.02.2009 को रेस्पोडेन्ट का वाद पत्र इसी आधार पर खारिज कर दिया गया था कि " **भूमि गैर खातेदारी कस्टोडियन विभाग की होने के कारण इस न्यायालय को सुनने**

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

का अधिकार ना होने के कारण दावा वादीगण खारिज किया जाता है'' लेकिन तहसीलदार ने यह माना है कि प्रकरण संख्या 02/2013 अनवानी सुनील कुमार बनाम रामलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 01.10.2014 के अनुसार भी निर्णय निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में रहा है इसी आधार पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर प्रश्नगत भमि का कब्जा रेस्पोडेन्टस को दिलाये जाने का आदेश दिये गये । क्योंकि **''राजस्थान सरकार के पुर्नवास विभाग के नोटिफिकेशन नम्बर 2(67)/61/111 दिनांक 16.10.1987''** में यह उद्वित किया गया है कि जो जमीन बिना खातेदारी अधिकार के बैचान हो गई उनको बेदखल नही किया जावें, लेकिन तहसीलदार ने कानून की अवहेलना करते हुए राज्य सरकार के आदेशों को भी न मानते हुए बिना क्षेत्राधिकार के निर्णय पारित किया है जो कि अकृत व शुन्य की परिभाषा में आता है।

पुर्नवास विभाग द्वारा जो दिनांक 16.10.1987 को नोटिसफिकेशन जारी किया हुआ है कि खरीददारों को बेदखल न किया जावें और न ही अपीलान्ट अतिक्रमी था और न ही धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य था, क्योंकि बेचान अनुसूचित जाति को ही किया गया था व उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 26.02.2009 के आदेश अंतिम हो चुके थे, जिसकी अपील रेस्पोडेन्टस द्वारा राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के अनवानी प्रकरण सरस्वतीदेवी वगैरा बनाम प्रीतमकौर वगैरा अपील सख्या 27/2009 थी और दिनांक 17.08.2016 को अपील खारिज कर दी गई थी। इसलिए रेस्पोडेन्ट तहसीलदार के समक्ष कोई भी प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकारी नही थे, लेकिन रेस्पोडेन्टस द्वारा तथ्यों को छुपाकर , आपराधिक षडयन्त्र रचकर अपीलान्ट को ब्लैकमैल करने की नियत से विधि विरूद्व तरीका से धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष दिनांक 30.05.2016 को प्रस्तुत किया गया और रेस्पोडेन्टस द्वारा तहसीलदार से विधि विरूद्व तरीके से आदेश दिनांक 07.10.2016 प्राप्त किये है जो कि कानूनन अकृत व शुन्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा जो आवश्यक पक्षकार थे उनकों पक्षकार नही बनाया गया क्योंकि पूर्नवास विभाग की यह भूमि थी जिसे भी पक्षकार नही बनाया गया और न ही लैण्ड होल्डर को पक्षकार बनाया है इसलिए आवश्यक पक्षकारों के आभाव में रेस्पोडेन्टस का प्रार्थना पत्र धारा 183 बी चलने योग्य नही था।

अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी व पुर्नवास अधिकारी के समक्ष इकरारनामा का नियमन करवाने हेतु नियमानुसार आवेदन कर रखा है क्योंकि पुर्नवास विभाग द्वारा निष्क्रान्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में जारी प्रपत्र कमांक एफ–1(15)राजस्व / पुर्नवास/2009 जयपुर, दिनांक 06 अक्टुबर 2009 व केन्द्रीय सरकार के द्वारा जारी किये गये निर्देश दिनांक 22.09.2008 के अनुसार भी नियमन हेतु उपजिलाधीश एवं पुर्नवास अधिकारी के समक्ष दिनांक 21.05.2013 को प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था जिसका मुकदमा नम्बर 97/2013 है। इस प्रकार से उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर व पुर्नवास अधिकारी के समक्ष मामला सबज्युडीस था , इसलिए भी तहसीलदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नही था। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 का यह कहना कि अपीलान्ट द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया है कतई गलत है क्योंकि बेचान भी अनुसुचित जाति से अनुसुचित जाति में है इसलिए धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी कानूनन कार्यवाही नही हो सकती थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा जिला पुर्नवास अधिकारी के समक्ष भी पुर्नवास अधिकारी की धारा 29(2) नियम 120 के अन्तर्गत भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें पुर्नवास अधिकारी द्वारा कोई भी भूमि रिसीवर करने की कार्यवाही

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नहीं की गई थी, क्योंकि राज्य सरकार के दिनांक 16.10.1987 के निर्देशें अनुसार कोई भी कार्यवाही नही की गई थी,ारा भूमि को रिसीवर नहीं किया गया था, जिसकी निगरानी रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सख्या 1 श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 15.09.2006 को निगरानी स्वीकार कर ली गई, इस आदेश के खिलाफ निगरानी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अपीलान्ट के पिता व प्रितम कौर द्वारा प्रस्तुत की जिसमें निगरानी स्टे का नम्बर 808/2006 था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 09.10.2006 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 15.09.2006 स्थगित कर दिया गया था और माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की मूल निगरानी में दिनांक 05.05.2008 को आदेश दिया कि तीन माह के अन्दर–अन्दर सिविल न्यायालय केस का निस्तारण करें और बाद में माननीय उच्च न्यायलय जोधपुर द्वारा दिनांक 19.05.2011 को सिविल कोर्ट की जगह रेवन्यु कोर्ट दर्ज किया गया इस प्रकार से राजस्व न्यायलय का निर्णय अन्तिम था जो निगरानी संख्या 808/2006 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व प्रीतम कौर द्वारा जिसमे तहसीलदार भी पक्षकार था इसलिए तहसीलदार को कानूनन कोई भी आदेश पारित करने के अधिकार नही थे इससे पूर्व भी जो निगरानी संख्या 430/99 माननीय उच्च न्यायलय जोधपुर में निर्णय दिनांक 08.12.1999 में यह आदेश दिये गये थे।

जिसकी अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 में माननीय न्यायलय में लाई करती है। आदेश दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2(14) में परिभाषित किया गया है कि ऐसे कोई भी आदेश जिससे किसी के अधिकारों पर प्रभाव पडता है उसकी अपील विधिनुसार पेश की जा सकती है। इसलिए यह अपील माननीय न्यायालय के श्रवणधिकार व क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत है तो भी अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा सकती है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आर.एल.आर. 1983 पेज नं. 273 बी में सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है व आर.आर. डी. 1981 पेज नम्बर 630 में भी सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है।

सम्पति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 41 के तहत कृषि भूमि अपीलान्टस पाने के अधिकारी है, लेकिन रेस्पोडेन्टस को जमीन का दोबारा कब्जा नही दिया जा सकता क्योंकि सन् 1987 में ही पुर्नवास विभाग द्वारा निर्देश जारी किये हुए थे, लेकिन तहसीलदार द्वारा इन आदेशें की अवहेलना करते हुए बिना क्षेत्राधिकार के आदेश पारित किया है। इकरारनामा के बाद अपीलान्ट के पिता व अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि में काफी सुधार किये , कृषि भूमि की कीमतें बढ जाने के कारण रेस्पोडेन्टस व उनके परिवार के मन में लालच आ गया है इसलिए अपीलान्टस को ब्लैकमेल करने व नुकसान पहुंचाने की नियम से कार्यवाही कर रहे है। प्रश्नगत भूमि की पानी की पर्ची भी सन् 1989 से लेकर 2013 तक लुनाराम के नाम से ही बनती आ रही थी क्योंकि रकबे का इकरारनामा के आधार पर लुनाराम को बेचान हो चुका था। इसलिए पानी की पर्ची गोपी सिंह व प्रीतम कौर के नाम से बनती आ रही थी क्योंकि इकरारनाम के आधार पर प्रश्नगत भूमि का बेचान हो चुका था । लिहाजा तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 07.10.2016 को निरस्त किया जावें व अपीलान्टस को रेस्पोडेन्टस से विशेष हर्जाना दिलवाया जावें।

अपीलाधीन आदेश के तहत विवादित भूमि चक 20 एमएलबी के मु.न. 55/57 की 25 बीघा चेतनराम पुत्र गंगाराम इत्यादि को पुर्नवास विभाग द्वारा आवंटित हुई थी । जिसमें से किला नम्बर 1 ता 12 व किला नम्बर 13 की 10 बिस्वा यानि 12.10 बीघा कृषि भूमि श्री गोपी सिंह के द्वारा जो प्रीतम कौर के पिता थे जरिये ईकरारनामा खरीद शुदा है। प्रीतम कौर ने उक्त 12.10 बीघा का

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

मुखत्यारनामा रामलाल पुत्र श्री लूणाराम को दिनांक 15.02.2013 को प्रदान कर दिया। रामलाल ने प्रश्नगत कृषि भूमि को जिसका वह मुखत्यारेआम था, ईकरारनामा बैय फाईनल संजय कुमार पुत्र श्री रामलाल जाति नायक निवासी 20 एमएलबी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को दिनांक 28.03.2013 को विक्रय कर दी । वक्त विक्रय आवंटी गैर–खातेदार की हैसियत में था। जैसा कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रकरण सख्या 162/2007 सरस्वती देवी वगैरा बनाम प्रीतम कौर –लूणाराम वगैरा में निर्णय दिनांक 26.02.2009 से भूमि गैर खातेदारी कस्टोडियन विभाग की होने के कारण दावा वादीगण खारिज किया गया। हस्तगत प्रकरण में खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही भूमि का बेचान औपचारिक/अनोपचारिक तरीके से अन्य को किया और मौके पर मूल आवंटी की बजाय अन्य व्यक्ति काबिज होने का दावा कर रहे है। इस दावे को और अधिक बल राजस्थान सरकार के पुनर्वास विभाग के नोटिफिकेश्न संख्या 2 (67)/61/III दिनांक 16.10.1987 से मिल गया कि जो जमीन बिना खातेदारी अधिकार के बेचान हो गई उनको बेदखल नहीं किया जावे। प्रकरण में हस्तांतरण से राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के उपबंधो का भी उल्लंघन नही हुआ है। इस दृष्टि से यह मामला धारा 183 बी के दायरे में नहीं आता है इसलिए तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण को क्षेत्राधिकार /श्रवणाधिकार से परे जाकर दिनांक 07.10.2016 को निर्णीत किया है जो विधि विरूद्व है और इसे यथावत रखा जाना कानून की दृष्टि में न्यायोचित नहीं है लिहाजा यह निर्णय/ आदेश कानूनन प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी है। न्यायालय हाजा भी इस विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश पर सुनने का अधिकार नहीं रखता क्योंकि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान मौजूद थे, परन्तु उस अधिनियम के निरसन के पश्चात भी दी गई व्यवस्था के तहत भी प्रकरण को यह न्यायलय नहीं सुन सकता लिहाजा अपील श्रवणधिकार/क्षेत्रधिकार से परे होने के कारण खारिज की जाती है।

प्रकरण में राजस्थान सरकार राजस्व (पुर्नवास) विभाग के परिपत्र दिनांक 06,अक्टूबर 2009 के तहत कार्यवाही अपेक्षित है। इसमें पूर्व के 5 अधिनियमों के निरसन की स्थिति में वर्तमान में व्यवस्था दी गई है। हस्तगत प्रकरण के सम्बन्ध में निस्तारण राजस्थान भू–राजस्व (निष्कान्त कृषि भूमियों का स्थाई आवंटन) नियम 1963 के तहत होना है। इसके लिए उपरोक्त नियमों के तहत नये जोडे गये नियम 5ए के तहत नियमन की कार्यवाही होनी है जिसके लिए उभयपक्ष दावेदार अपना दावा /आवेदन संबंधित उपखण्ड अधिकारी को करने में स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति सहित रिकार्ड लौटाया जावें ।

आदेश आज दिनांक 11.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/12/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर